संख्या-13/2016/393 ई-1/तेरह-2016-127(6)/2004

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः17 मार्च, 2016

विषयः- आबकारी विभाग में निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन के स्थान पर नये प्रतिस्थानी वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या -2/2016 2351 ई-1/तेरह-2016-127(6)/2004 दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा आबकारी विभाग में निष्प्रयोज्य एवं नीलाम वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप 04 बोलेरो माडल एलएक्स-2, डब्लूडीबीएस-3 एनएसी क्रय किये जाने हेतु प्रति बोलैरो की कीमत डी.जी.एस एण्ड डी रेट रू0 5,63,087.00 की दर से रू0 22,52,348.00 तथा 01 इनोवा माडल 2.5 जी (ई-3)-एक्स को डी.जी.एस एण्ड डी रेट पर क्रय किये जाने हेतु रू0 11,43,896.00 अर्थात कुल रू0 33,96,244.00 (रूपया तैंतीस लाख छियान्नबे हजार दो सौ चौवालीस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2- इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या- सी 5901/एक-16 (गाड़ी)/ वाहन क्रय दिनांक 03 मार्च 2016 द्वारा प्रेषित किए गए प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 13 जनवरी, 2016 के माध्यम से दी गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में आंशिक संशोधन करते हुए आबकारी विभाग में निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन संख्या- यू0पी0 70 एए/1855 के प्रतिस्थापन स्वरूप मात्र 01 इनोवा वाहन 2.5 जी (ई-3)-एक्स के क्रय किये जाने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति निरस्त की जाती है।

3- पुनः संशोधित आपके प्रस्ताव के अनुसार श्री राज्यपाल, निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन संख्या- यू0पी0 70 एए/1855 (जिप्सी) तथा वाहन संख्या- यू0पी0 70 पी/0519 (जिप्सी) के प्रतिस्थापन स्वरूप 02 बोलेरो माडल एलएक्स-2, डब्लू.डी.बी.एस.-3 एनएसी प्रति बोलैरो डी.जी.एस एण्ड डी दर कीमत रू0 5,78,376.00 की दर से क्रय किये जाने हेतु रू0 11,56,752.00 (रूपया ग्यारह लाख छप्पन हजार सात सौ बावन मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 13 जनवरी, 2016 में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- क्रय किये जाने वाले वाहन डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दर पर क्रय किये जायेंगे तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या- 1 लेखा शीर्ष-2039-राज्य उत्पाद शुल्क-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर- 03-अधीक्षण- 14-मोटर गाडि.यों का क्रय के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-9-104/दस-2016, दिनांक 17 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राम बहादुर सिंह
उप सचिव।

संख्या- 13 /2016/393 ई-1/तेरह-2015-127(6)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9,
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राम बहादुर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।